Dear Esteemed clients,,

Very urgent & Important

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हम आपको सेबी द्वारा निर्गत सर्कुलर नंबर NSE/INSP/44490 दिनांक 28-05-2020 तथा NCL/CMPT/45087 दिनांक 21-07-2020 जो कि कैश मार्केट (C M Segment) मे नये prepaid margin के लिए जारी किया गया है, के प्रावधानों से अवगत कराना चाहते हैं।

सर्रकुलर के अनुसार सभी क्लाइंट्स को 01-08-2020 से जो कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग/जोबिंग करते हैं, उन्हें सौदा करने से पूर्व प्रीपेड मार्जिन जमा कराना आवश्यक हो जायेगा । अभी तक कंपनी clients के जो शेयर POA में बैलेंस होते हैं उसके मूल्य के अनुसार खरीद/ बिक्री की अनुमति प्रदान कर होती है और मार्जिन की आवश्यकता पूरी हो जाती है ।

उपरोक्त सर्कुलर के अनुसार 1 अगस्त 2020 से कोई भी होल्डिंग POA clients के लिए खाते में होगी, उसका कोई भी वैल्यू मार्जिन में नहीं ली जा सकेगी। आप उपरोक्त मार्जिन पहले से हमारे पूर्व निर्धारित मार्जिन खाते में हस्तांतरित करवाएं जिससे उपलब्ध मार्जिन के अनुसार अपने सौदे निस्तारित करते रह सकें।

* भविष्य में सेबी नियमानुसार निर्बाध खरीद-फरोख्त जारी रखने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित है:-
* POA A/C से जितना मार्जिन चाहिए 31 जुलाई 2020 से पहले कंपनी के मार्जिन अकाउंट में हस्तांतरित करना होगा ।
* 01 अगस्त 2020 के बाद केवल Pledge करके ही मार्जिन दिया जा सकेगा ।
* अगर आपको शेयर मार्जिन देने मे कोई असहजता लग रही हो तो चेक से भी मार्जिन दे सकते है लेकिन मार्जिन एडवांस(pre-paid) ही रहेगा ।
* अगर सौदा ज्यादा है और मार्जिन लगातार रखना है तो Fixed Deposit करने का विकल्प भी प्रयोग में ले सकते हैं।
* यह भी नोट करें कि जो भी शेयर हमारे पास मार्जिन में जमा है वह आवश्यक रूप से 31 अगस्त 2020 से पूर्व वापस किए जाएंगे और आपको हमारे पक्ष में Pledge करने होंगे क्योंकि १अगस्त के पश्चात सभी मार्जिन pledge के माध्यम से ही देने होंगे।
* मार्जिन मे यदि कोई Short Fall होगी उस पर दंड का प्रावधान है जो सेबी/एक्सचेंज के नियम अनुसार देना होगा ।

TEAM SPFL

-------------×××-----------